कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

(राजस्थान)

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2016

(पीटीईटी–2016)

पीटीईटी परीक्षा तिथि–सोमवार, 15 मई, 2016

समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक

एवं

प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016

प्रवेश परीक्षा तिथि–15 मई, 2016

समय अपरान्ह 2 बजे से 5 बजे तक

सामान्य दिशा निर्देशिका

कार्यालय पीटीईटी एवं प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

कबीर सर्किल के पास, एम.बी.एस. मार्ग,

विश्वविद्यालय अतिथिगृह के पीछे स्थित क्वार्टर

कोटा (राज.)–324005

दूरभाष नं.: 0744–2472555 ई–मेलः uokptet2016@gmail.com

Website: www.ptetraj2016.com and www.ptetraj2016.org

कार्यालय समयः–कार्यदिवस में सायं 5:30 से 9:00 बजे तक तथा
अवकाश दिवस में प्रातः 10:30 से अपरान्ह 4:00 बजे तक

प्री–टीचर एज्यूकेशन टेस्ट एवं प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016

हेतु आवेदक कृपया ध्यान दें

क) इस सामान्य दिशा निर्देश पुस्तिका में प्री–टीचर एज्यूकेशन टेस्ट एवं प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016 में बैठने के लिए पात्रता, सीटों के आरक्षण, स्कूल अध्ययन विषय आदि के सम्बन्ध में नियमों का समावेश किया गया है। तदापि प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016 पाठ्यक्रम के प्रवेश संबंधी संक्षिप्त दिशा निर्देश आगे उल्लेखित किये जा रहे है तथा विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से शीघ्र ही वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। आगे नियमों का संक्षिप्त स्पष्टीकरण भी दिया गया है।

ख) अंग्रेजी भाषा में लिखित नियमों के आगे इन नियमों का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण भी दिया गया है जो केवल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है अर्थात् अंग्रेजी में लिखित नियमों का अक्षरशः हिन्दी अनुवाद नही है और किसी नियम या उसके भाग के अर्थ के सम्बन्ध में अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी में उल्लेखित नियम ही मान्य होंगे।

ग) कॉलेज आवंटन ऑन–लाईन काउन्सलिंग के जरिए होगा। काउन्सलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से महाविद्यालयों का जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे, चयन करते समय यह सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय का चयन नही करें जहां आपके द्वारा चुने हुए अभ्यास शिक्षण (Practice Teaching) का विषय ही उपलब्ध न हो।

घ) ऑन लाईन आवेदन–पत्र भरकर सबमिट करने से पूर्व इससे सम्बन्धित पृथक से वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तिका में उपलब्ध दिशा निर्देशों का गहन अध्ययन करें और ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरनें मे सामान्य सी चूक आपकों इस परीक्षा के लिए अपात्र ठहरा सकती है।

ङ) ऑन लाईन आवेदन पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑन–लाईन सबमिट करें एवं उसका प्रिन्ट ले एवं परीक्षा आवेदन–पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख ले जिसे काउन्सलिग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। आवेदन–पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

च) यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न श्रेणी यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, विकलांग, विधवा/परित्यकता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र का निवासी, सैनिक/सेवानिवृत सैनिक या उनके आश्रित है तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काउन्सलिंग के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

छ) आपके किसी श्रेणी विशेष से सम्बन्ध न रखते हुए भी या प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण–पत्र नही होते हुए भी आवेदन–पत्र के निर्धारित कॉलम में उस आशय का इन्द्राज करते है तो दुर्भावना पूर्वक इस टेस्ट में अनुचित लाभ करने की नीयत से किया गया कृत्य माना जावेगा एवं जो इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

ज) टेस्ट के प्रश्न–पत्र में 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि तीन घण्टे की होगी।

झ) इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय–समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।

ञ) पीटीईटी आवेदन–पत्र की डाउन लोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें – 1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति 2. अंकतालिकाएँ एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण–पत्र (10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नात्तकोत्तर, यदि हो, को इसी क्रम में रखें), 3. जाति प्रमाण–पत्र, 4. विकलांगता/सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण–पत्र, 5. मूल निवास प्रमाण–पत्र, (नोट : इस बिन्दु में क्रम संख्या 2 से 5 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण–पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो, की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें

जिन्हें काउन्सलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपका आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नही होगा।

ट) प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016 आवेदन–पत्र की डाउन लोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावेजों को इस प्रकार रखें – 1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति 2. अंकतालिकाएँ एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण–पत्र (10वीं, 12वीं, अन्य यदि कोई हो, को इसी क्रम में रखें), 3. जाति प्रमाण–पत्र, 4. विकलांगता/सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण–पत्र, 5. मूल निवास प्रमाण–पत्र, (नोट : इस बिन्दु में क्रम संख्या 2 से 5 में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण–पत्रों, जो आपसे सम्बन्धित हो, की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें जिन्हें काउन्सलिंग उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपका आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नही होगा।

ठ) शारीरिक अयोग्यताः– ऐसे आवेदक जिन में शारीरिक दोष हो, जो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा हो (जैसे गूंगां होना, बोलने में असमर्थ होना, नितांत बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे श्यामपटट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं हो सके जिससे कक्षा में खडा नहीं हो सके आदि) इन पाठयक्रमों में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त दृष्टिबाधित (Blind) व अन्य विशेषयोग्यजन प्रवेश के पात्र होंगे।

महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2016 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हे ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/– रूपये तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती है।

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने राजस्थान के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2016 का आयोजन करने के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अधिकृत किया है।

प्री–टीचर एज्यूकेशन टेस्ट एवं प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट–2016 के आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. आवेदक वेब–साईट (ऑन–लाईन) पर उपलब्ध आवेदन–पत्र को भर कर सबमिट करने के पश्चात् प्रिन्ट कॉपी स्वयं के पास सुरक्षित संभाल कर रखें।

2. टेस्ट के परिणाम की घोषणा दिनांक 31 मई 2016 तक की जानी संभावित है। टेस्ट की अंकसूची या अन्य सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नही भेजी जायेगी। पीटीईटी एवं प्री. बी.ए.–बी.एड./बी. एससी.–बी.एड. टेस्ट परीक्षा परिणाम वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जायेगा तथा परिणाम घोषणा की जानकारी यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी। परिणाम घोषणा की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप प्रकाषित की जायेगी।

3. आवेदकों को टेस्ट में बैठने की पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा अर्थात् स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी पी.टी.ई.टी.–2016 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है तथा परीक्षा में बैठ सकते है बषर्ते वे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष के तभी हकदार होंगे जब उनके काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाईन काउन्सलिंग रजिस्ट्रेषन की अन्तिम तिथि तक बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंकतालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो एवं उन्होने काउन्सलिंग में भी भाग लिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों से महाविद्यालय में रिर्पोटिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इन्टरनेट से जारी अंकतालिका आदि स्वीकार नही किये जायेंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक जिनका पात्रता परीक्षा परिणाम यथा मुख्य परिणाम या पुनर्मूल्यांकन परिणाम या पूरक परीक्षा परिणाम, जैसी भी परिस्थिति हो, काउन्सलिंग रजिस्ट्रेषन की अन्तिक तिथि के पष्चात् घोषित होता है तेा ऐसे आवेदक सत्र 2016–17 में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष के हकदार नही होंगे भले ही उनका, उनके पात्रता परीक्षा के परिणाम के बाद के चरण की काउन्संलिंग में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेष हेतु चयन हुआ हो। यदि आवेदक गलत सूचना के आधार पर काउन्संलिंग मे सम्मिलित होता है तो उनके द्वारा जमा रजिस्ट्रेषन शुल्क राषि रूपये 2000/– जब्त कर लिये जावेंगे।

4. **प्री. बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. टेस्ट** में आवेदकों को बैठने की पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा/शैक्षणिक योग्यता–

(1) राज्य के महाविद्यालयों में संचालित उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिषत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/एसओबीसी/विकलांग/विधवा/तलाकषुदा/परित्यकता महिलाओं के लिए न्यूनतम 45 प्रतिषत अंक अनिवार्य है। वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिषत गणना में एक अंक भी स्वीकार नही होगा एंव ऐसा होना आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त कारण होगा।

(2) उपरोक्त नं. 1 के क्रम में यदि आवेदक माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सैकण्डरी परीक्षा उतीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेष हेतु पात्र होगा(अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा)।

(3) माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत हायर सैकण्डरी उतीर्ण आवेदक को भी अन्य शर्ते पूर्ण करने पर प्रवेष योग्य माना जायेगा।

(4) जो आवेदक वर्ष 2016 मे सीनियर सैकण्डरी परीक्षा मे सम्मिलित हो रहे है, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परन्तु उन्हे काउन्सलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तो को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह कि सीनियर सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम निर्धारित काउन्सलिंग की दिनांक तक नही दिये जाने पर अथवा निर्धारित अंक प्राप्त नही होने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउन्सलिंग में शामिल नही किया जावेगा।

5. आवेदक ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक की श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम पूर्ण सावधानी बरतते हुए भरें। आवेदक द्वारा श्रेणी/संकाय/लिंग संबंधी कॉलम में यदि गलत सूचना दी जाती हैं तो इनमें बाद में परिवर्तन किया जाना संभव नही हो सकेगा एवं ऐसी सूचना को दुर्भावना पूर्वक दी हुई सूचना मानते हुए आवेदन–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

6. एकल बैठक (व्दम`पजजपदह) परीक्षा पद्वति से स्नातक परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होनें बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उतीर्ण क्यों न कर ली हो, टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है। इसी प्रकार 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा उतीर्ण नही करने वाले अभ्यर्थी भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है। तदापि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से बी.ए.पी. परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी जिन्होने बाद में नियमित स्नातक स्तर की परीक्षा उतीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थी भी बी.एड. प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु पात्र माने जायेंगे।

7. अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढ़े हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाये जाने वाले कोई दो विषय नियमानुसार नही बनते है वे टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है। बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ई. /बी.एस.सी. बॉयोटेक्नोलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उतीर्ण अभ्यर्थियों के नियमानुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाये जाने वाले विषय नही बनने के कारण वे भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है। अभ्यर्थी के नियमानुसार बनने वाले शिक्षण विषयों में से कोई दो विषय देने का अधिकार शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित महाविद्यालय को होगा।

8. बी.एड. पाठ्यक्रम/4 वर्षीय बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में से संकायवार, श्रेणीवार वरीयता (डमतपज स्पेज) सूची तैयार कर प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। प्रवेश हेतु चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन की सूचना वेब–साईट पर उपलब्ध करवाई जावेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नही भेजी जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन परिणाम घोषणा की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार यथासंभव इसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस. एम.एस. के द्वारा दी जायेगी।

9. उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय चयन ऑन–लाईन काउन्सलिंग प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑन–लाईन काउन्सलिंग कार्यक्रम की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नही भेजी जायेगी। काउन्सलिंग कार्यक्रम सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार यथासंभव इसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी।

10. महाविद्यालय आवंटन एवं आगे की प्रक्रिया यथा शेष शुल्क जमा करवाना, महाविद्यालय में उपस्थिति इत्यादि की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा नही भेजी जायेगी। महाविद्यालय आवंटन परिणाम वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जावेगा। महाविद्यालय आवंटन परिणाम घोषणा की सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार यथासंभव इसकी जानकारी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के द्वारा दी जायेगी।

11. सफल अभ्यर्थियों को ऑन–लाईन काउन्सलिंग द्वारा आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति के समय महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की ऑन–लाईन रिपोर्टिंग की जायेगी एवं प्रवेश रसीद जो कि ऑन–लाईन रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप प्रिन्ट होगी जिसे मय महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी। अभ्यर्थियों की सूचनार्थ यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऑन–लाईन रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप प्रिन्ट रसीद के बिना उनका प्रवेश सुनिश्चित नही होगा। अतः अभ्यर्थियों को हिदायत दी जाती है कि महाविद्यालय से ऑन–लाईन रिपोर्टिंग प्रवेश रसीद मय हस्ताक्षर प्राप्त करें। रसीद के अभाव में उनका प्रवेश सुनिश्चित नही होने की दशा में उनके प्रवेश से संबंधित चरण की काउन्सलिंग हेतु रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् उनकी ऑन–लाईन रिपोर्टिंग किया जाना किसी भी परिस्थिति में संभव नही हो सकेगा तथा उन्हे नॉन रिर्पोटेड की श्रेणी में माना जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी एंव इस हेतु उनकी किसी प्रार्थना पर विचार किया जाना संभव नही हो सकेगा। आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक तक समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित रिपोर्ट नही करने वाले अभ्यर्थियों (चाहे कोई कारण रहा हो) को पुनः कोई अवसर प्रदान नही किया जावेगा तथा ऐसी सीट को रिक्त मानते हुए सीट प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी से भरी जायेगी।

12. अभ्यर्थियों के आवंटित महाविद्यालय में ऑन–लाईन रिर्पोटिंग के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रवेश शुल्क उन्हे लौटाने योग्य नही होगा।

13. किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय स्थानान्तरण (एकल या पारस्परिक) की स्वीकृति नही होगी। किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तरण हेतु उनकी प्रार्थना स्वीकार्य नही होगी।

14. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी के बावजूद उपर्युक्त प्रकरणों के संबंध में उनके नियम विरूद्ध किसी प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा विचार नही किया जायेगा एवं पत्र व्यवहार की अधिकता के कारण न ही उन्हे जवाब दिया जाना संभव नही हो सकेगा।

15. उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेष परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र आवंटन का कार्य पूर्णरूप से समन्वयक पी.टी.ई.टी. एवं बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. 2016 के क्षेत्राधिकार में होगा ।

16. सत्र 2015–16 से एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार बी.एड. पाठ्यक्रम द्विवर्षीय (2 वर्ष) कर दिया गया है तथा सत्र 2016–17 से एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार 4 वर्षीय बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसके संबंध में एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देशों को समय–समय पर विश्वविद्यालय की उक्त उल्लेखित वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ मे लाना पूर्णतया वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में काला बॉल पेन साथ में लाना न भूलें।

GENERAL GUIDELINES

PRE-TEACHER EDUCATION TEST AND PRE-B.A.-B.ED./B.SC.-B.ED. TEST-2016

For admission to B.Ed. and 4 year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Course, Session 2016-17: For admission to B.Ed. and 4 year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Course in various Teacher Training Institution/Colleges in the state of Rajasthan, a competitive test for selection of candidates viz, Pre-Teacher Education Test (PTET) and Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. will be conducted by University of Kota, Kota in accordance with the following rules as approved by the Government of Rajasthan.

RULES FOR ADMISSION TO B.ED. AND 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. COURSE

1. There will be a Pre-Teacher Education Test hereinafter called PTET-2016 for admission to B.Ed. Colleges of Rajasthan, online application forms for the same are being invited by University of Kota, Kota. Candidates securing at least 50% marks in aggregate in the Bachelor's Degree/Master's Degree examination of University of Kota, Kota or any other University recognized as equivalent to and fulfilling the other requirements for admission to B.Ed. course prescribed hereinafter will be eligible to apply for admission to B.Ed. Course through PTET, however Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Special Backward Classes as well as physically challenged and widow or Divorce women candidate of Rajasthan having at least 45% marks in aggregate in the Bachelor's/Master's Degree level examination will be eligible to apply for admission. No relaxation in the minimum percentage (Not even 1 marks) as required above will be given to any candidate. Candidates who have passed graduation through correspondence course from any University by taking only one University Examination or have not studied through 10+2+3 scheme or 10+1+3 (old Scheme) are not eligible to appear in PTET, However, BAP examination passed candidates from Vardhman Mahaveer Open University, Kota who have completed their graduation degree later on, will also be eligible for PTET enterence test.

2. Those who are appearing in the qualifying examination i.e. B.A./B.Com./B.Sc./Shastri Final year and/or M.A./M.Com/M.Sc/Acharya final year may also apply and appeared in the PTET-2016 subject to condition that they shall have their result upto last date of online counseling registration and have Marksheet of the qualifying examination with eligibility percentage and the candidate should have online registered themselves and participated in online counseling. It is clarified that any other document in the shape of provisional certificate and/or newspapers cutting, result/marksheet obtained through internet etc., will not be acceptable. Any false information provided by the candidate while participating in the test/counseling regarding their result/percentage of marks obtained will result to deprive them from admission in B.Ed. course and fee deposited by them will not be refunded.

3. There will be a Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Test-2016 for admission to 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Course, Colleges of Rajasthan, online application forms for the same are being invited by University of Kota, Kota. Candidates securing at least 50% marks in aggregate in the Senior Secondary examinations of Seconday Baord of Education, Rajasthan, Ajmer or any other recognized Board as equivalent to and

fulfilling the other requirements for admission to 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Course, prescribed hereinafter will be eligible to apply for admission to 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Course, through Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Test-2016, however Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Special Backward Classes as well as physically challenged and widow or Divorce women candidate of Rajasthan having at least 45% marks in aggregate in the Senior Secondary examinations will be eligible to apply for admission. No relaxation in the minimum percentage (Not even 1 marks) as required above will be given to any candidate. It is also clarified that only Senior Secondary Examination passed in Science Faculty candidates are eligible for admission in 4 Year B.Sc.-B.Ed. course.

4. Those who are appearing in the qualifying examination i.e. Senior Secondary Examination-2016 subject to condition that they shall have their result upto last date of online counseling registration and have Marksheet of the qualifying examination with eligibility percentage and the candidate should have online registered themselves and participated in online counseling. It is clarified that any other document in the shape of provisional certificate and/or newspapers cutting, result/marksheet obtained through internet etc., will not be acceptable. Any false information provided by the candidate while participating in the test/counseling regarding their result/percentage of marks obtained will result to deprive them from admission in 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. course and fee deposited by them will not be refunded.

5. On the basis of performance in the PTET and Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Test-2016, Merit list showing the marks obtained by each candidate will be prepared.

6. Out of the total number of seats faculty wise not exceeding 05% seats will be filled in on the basis of overall merit, irrespective of the state of which the candidate belongs provided that merit of a candidate from outside Rajasthan is not less than the merit of the last candidate admitted belonging to Rajasthan in a general category. The remaining seats will be available to the candidates who are bonafide residents of Rajasthan State.

7. Out of the total number of seats available in each Faculty (Arts, Science, Commerce), reservation for Rajasthan domicile will be made as give hereunder :-

I	For candidates belonging to Scheduled Castes	16%
II	For candidates belonging to Scheduled Tribes	12%
III	For candidates belonging to Other Backward Classes	21%
IV	For candidates belonging to Special Backward Classes	01%
V	For women (Out of which 8% seats are reserved for widow and 2% for divorced women)	20%
VI	For physically challenge (including blind, deaf &/or dumb and orthopedic) with at least 40% disability on production of a medical certificate on form No.4 will have to be submitted duly signed by Medical Board or by reader in the specialty concerned where there is a medical College, or from the Junior Specialist in the specialty concerned or the C.M.H.O. at placed where there is no medical college (1% for Blind, 1% for Deaf &/or Dumb and 1% for orthopedic handicapped.)	03%
VII	For an in-service or an Ex-serviceman defence personnel or for his/her ward.	05%

Notes of Rules 5 & 6

(i) Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes and special backward classes of Rajasthan shall be required to produce a Certificate to that effect from a District Magistrate/Sub-Division Magistrate/Tehsildar.

(ii) The term wards mean only the son, daughter, wife or husband. Real sister and real brother may also be treated wards of defence personnel, provided they are dependent on the guardian concerned and parents are not alive.

(iii) Divorced woman shall be required to produce a certificate in the shape of decision of the court to the effect that she has been divorced, and an affidavit to the effect that she has not married got again duly attested by Notary. The certificate issued by any social organization will not be entertained.

(iv) For defence personnel/wards, certificate issued by the Major of the Unit/Secretary, soldiers Board as per rules will have to be produce, failing which, the benefit under this category will not be granted. B.S.F., C.R.P.F. and other territorial force personnel and their wards are not covered this category.

(v) For deciding the claim of a person to be a bonafide resident of Rajasthan a bonafide resident certificate issued by a competent authority i.e. a District Magistrate or a Sub Division magistrate or an executive Magistrate authorized for the purpose will be essential. However, the candidates who have passed their 10th, 12th, and Graduation examinations from Rajasthan State and their addresses belong to Rajasthan state will be treated bonafide residents of Rajasthan without producing any certificate.

In case of an out state woman who got married with a bonafide resident of Rajasthan, the place of bonafide residence of her husband may be considered as her bonafide residence of Rajasthan, provided a bonafide residence certificate of her husband and marriage certificate obtained from District Magistrate are produced alongwith print copies of application form for appearing in the test.

Such wards of defence personnel and Central Govt. employees, who have/had been posted outside Rajasthan but such defence personnel/ Central Govt. employees originally belong to Rajasthan may be considered eligible for admission to B.Ed. course provided a bonafide residence certificate from a competent magistrate and a certificate from the employer are submitted along with application form for appearing in PTET.

(vi) As far as possible the candidate will be allotted examination centre in the district as per the options given in his/her online application form. No request for change in Centre will be entertained. However, the decision of the Coordinator, PTET and Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. Test-2016 will be final and shall be binding regarding allotment of examination centre.

False statement of facts noticed at any stage, will automatically result in cancellation of candidature and admission to the course, if it has already been made. The entire responsibility will lie with the candidate concerned and the fee deposited will not be refunded.

8. The result will be made available on the website. For information of the candidates a notification regarding declaration of the result will be published in the leading newspaper of Rajasthan. Marksheet of candidates will not be sent by the post. The same will be made available on website as mentioned above or other site as informed through news papers and

can be downloaded. However as far as possible the information will be given through SMS on the mobile number provided by the candidates in his online form.

Allotment of Teacher Education Institution for B.Ed. and Colleges for 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. course will be made through online counseling. The counseling programme will be published in leading news papers of Rajasthan and will also be made available on website www.ptetraj2016.com, and www.ptetraj2016.org along with the instructions regarding there participation in online counseling. Candidates are bound to follow the same. Candidates are advised to keep constant watch on the leading news papers of Rajasthan and website as mentioned above on/after the declaration of their enterence test results. **The candidate who do not perform online counseling or refuse to accept the allotted college through online counseling, will loose their PTET/** Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. **merit position and their chance for admission to B.Ed. course and** 4 Year B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. **will not be reconsider. After allotment of a college any request for transfer or change of college (Individual or mutual) shall not be entertained in any case. the admission fee deposited by a candidate will not be refunded in any condition if he/she reported online through the college allotted to him/her.**

9. A candidate will be allotted a teacher education institution/college in the state through online counseling on the basis of his merit in the test and as per his faculty, category, teaching subject, etc. Admission to a teacher education institution in a particular district/place can not be claimed by any candidate on the basis of belonging to that district/place or any other ground.

10. **For admission in the B.Ed. Course candidate must have teaching subjects at Bachelor/Master Degree level**.

(i) 'Teaching subject' means a subject offered by the candidate at his/her Bachelor's or Master's Degree Examination as an optional subject or as a subsidiary subject, provided that the candidate studied it for at least two years and also taken University Examination each year. This shall not include such subjects as were studied by him/her only for a part of the Bachelors' Degree course shall not be considered as teaching subject. Thus the qualifying subjects like General English, General Hindi, General Education/History of Indian Civilization and Culture, Elementary Mathematics, etc. prescribed for the first year T.D.C. or second year course of the University or a subject dropped by a candidate at the part-I stage of the Degree course shall not be treated as a teaching subject. In the case of Honours Graduates, besides the honours subject, the subsidiary subjects would also be taken into account, provided the candidate studied the same for last two academic sessions and also passed University Examination. The marksheet of Final year examination should clearly indicate the marks of compilation of Part-I, Part-II, and Part-III in the case of three years degree course or part-II and Part-III examinations in the case of two years degree course separately.

(ii) Only such candidate shall be allowed to offer social studies for the B.Ed. Examination as have taken their Bachelors Degree with atleast two subjects out of History, Political Science, Public Administration, Economics, Geography, Philosophy, Psychology and Sociology.

(iii) A person having Bachelors Degree in agriculture shall be allowed to offer General Science and Biology for B.Ed. Examination. General Science may also be allowed to be offered by a candidate passing the degree of B.Sc. (Home Science) or Passing the B.Sc. Examination with chemistry with any one subject of Life Science, i.e. Biology or Botany or Zoology.

(iv) A candidate who has offered Political Science or Public Administration at his Bachelor's or the Master's Degree Examination shall be eligible to offer Civics as a teaching subject in the B.Ed. Examination.

Explanatory notes to eligibility rules for B.Ed. :

(i) For the purpose of PTET merit, faculty wise, candidate's faculty is the faculty in which he/she has passed the graduation examination, which is the qualifying examination and enables him/her to offer subjects for practice teaching. The PG examination of a different faculty other than that of graduation shall neither be taken into consideration for determining the merit nor for offering a school teaching subject.

(ii) Where a candidate has passed post graduate examination in two subjects of the same faculty. which is different from the faculty of graduation, he/she may be assigned the faculty of PG Examination for determining the merit, if chosen so provided both the subjects of PG examination are school teaching subjects.

(iii) Economic cannot be offered by a Commerce Graduate.

(iv) Those who are not able to offer at least two practice teaching subject for B.Ed. course in accordance with subjects shown against B.Ed. Colleges must not appear in the PTET as admission will not be allowed with a subject which is not on the syllabus of B.Ed. in any of the University. Candidates who have passed BBA/BCA/BE/B.Sc. (Biotech) or any such degree which don't' have any school teaching subjects are not eligible for admission in B.Ed. Course.

(v) Anyone who is not fulfilling any of the eligibility conditions as on the last prescribed for submission of online application form for PTET-2016 must neither apply nor appear in the test as the appearance in the test will be treated as cancelled and admission will not be allowed even if he/she is in merit on account of having appeared in the test and even in the case where admission has been allowed erroneously due to non-checking of the eligibility of the candidate. The admission shall be treated to have been cancelled at any stage of noticing the same.

(vi) The candidate not eligible in terms of rules shall not get any right by deposing the registration or admission fee with the scheduled bank.

(vii) (a) As per rules in vogue for admission to B.Ed. course in a teacher education college in Rajasthan, a Candidate passing a degree examination of three years duration (after intermediate) conducted by a University where Part-I examination is not conducted by the University and the marks obtained thereat are not included in the marks sheet of part-II for the award of division, is not eligilble to appear in PTET for admission to B.Ed. course.

(b) In case of Honours Graduate, if he/she has not studied the same subsidiary subject for at least two years taking University Examination for both the years separately, he/she is not eligible to offer the subsidiary subject as a teaching subject and so to appear in the PTET.

(c) Those candidates who have passed graduation through correspondence course from any University by taking only one University Examination or have not studied through 10+2+3+ scheme or 10+1+3 (old Scheme) are not eligible to appear in PTET, However, BAP examination passed candidates from Vardhman Mahaveer Open University, Kota who have completed their graduation degree later on, will also be eligible for PTET enterence test.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE TO THE CANDIDATE FOR B.Ed.

(i) In the instance the candidate has to determine his/her own eligibility to appear in PTET as there may be no checking of eligibility of candidates by the University at the stage of appearance in the test. The appearance at the test will be at candidate's own risk and responsibility and it will not confer any right upon the candidate to be admitted to B.Ed. course in case he/she is subsequently found to be ineligible for admission to PTET or B.Ed. course. Further, the appearance at the test is at candidate's own risk and issuance of statement of marks will also not confer any right upon him/her for admission to the course, of later found ineligible.

(ii) The candidate should read the rules as well as general instructions very carefully and comply with the same, failing which his/her admission to B.Ed. course may be cancelled. Non-eligible candidate should not appear in the PTET.

(iii) Merely a mention of the category in the online application form without actually belonging to the same or sending attested copy of certificate without mentioning a category in the application form or filling wrong or incorrect information in the application form will be treated as misconduct and will result in cancellation of the application form.

(iv) THE FEE FOR PTET IS NON-REFUNDABLE IN ALL ABOVE CASES. THEREFORE, ONLY SUCH CANDIDATES SHOULD APPLY WHO ARE ELIGIBLE AS PER RULES AND INSTRUCTIONS.

Guidelines regarding admission to Pre Teacher Education Test.

1. In the very nature of competitive examination, no syllabus has been prescribed. It is an exercise to pick-up the best. However, the following pages contain a broad outline.

2. The PTET examination will consist of one question paper containing following four sections:

    - Mental Ability
    - Teaching Attitude & Aptitude Test
    - General Awareness, and
    - Language Proficiency (Hindi or English)

    Section A: Mental ability section shall consist of 50 objective type multiple choice question to test the following abilities: (i) Reasoning (ii) Imagination (iii) Judgement & Decision Makign, (iv) Creative Thinking, (v) Generalization, (vi) Drawing inferences, etc.

    Section B: Teaching Attitude and Aptitude test section shall consist of 50 questions mainly on the following areas: (i) Social Maturity, (ii) Leadership, (iii) Professional Commitment, (iv) Interpersonal Relations. (v) Communication, (vi) Awareness etc. This will be test of attitudes and awareness in which answers to question will be scored on a scale of 3,2,1 and 0.

    Section C: General Awareness section shall consist of 50 objective type multiple questions mainly regarding the following areas: (i) Current Affair (National and International), (ii) Indian History & Culture, (iii) India and its Natural resources, (iv) Great Indian Personalities (Past and Present), (v) Environmental awareness, (vi) Knowledge about Rajasthan etc.

Section D: :Language Proficiency (English or Hindi) **Section** shall consists of 50 objective type multiple questions regarding proficiency in Hindi or English Language mainly related to the following aspects: (i) Vocabulary, (ii) Functional Grammar, (iii) Sentence Structures, (iv) Comprehension etc.

(i) All questions in question paper shall be objective type multiple choice questions with at least four alternative answers (see sample question under heading 'Model Question Paper')

(ii) The paper will be set both English and Hindi except for the language proficiency section. In case of discrepancy in options of answers or in question paper the English version be treated as final.

(iii) The duration of the paper shall be 3 hours.

(iv) Each question will carry 3 marks and the maximum marks in the paper shall be 600.

(v) Full 3 marks will be awarded for each correct answer. In attitude & Aptitude section, however, the answer will be scaled on a scale of 3 to 0 marks. This means that answer to each question will carry marks of 3,2,1 and 0.

3. The question paper of each section will be in the form of a test booklet containing 50 questions bearing number 1,2,3………..50. There would be at least four alternative suggested answers (A) (B) (C) (D) etc. to each question. The candidate will be required to choose the correct answer and darken the correct circle by ball pen only, corresponding to the question in the answer sheet to be provided to each candidate. Mark should be dark and circle filled completely. Dark only one circle for each question as shown in example. Make the mark only in the spaces provided. Please do not make any stray marks on the answer sheet. Filling of more than one circle for any question or not erasing a mark fully for changing answer will mean rejection of that answer. Rough work must not be done on the answer sheet. Use the space for rough work given in the test booklet. The answer sheet will be collected from them at the end of the examination. Assessment will be made only on the basis of the answer sheets.

4. The question booklets shall be arranged in different combinations. It must be endured by the candidate that the serial number of the question booklet is correctly and accurately written at the prescribed place on the answer sheet and correct circles corresponding to the figures are darkened very carefully.

5. The merit list of qualifying candidates will be prepared on the basis of the marks obtained by the candidate as per PTET rules.

6. Where same marks are secured by two or more candidates, merit will be assigned on the basis of marks obtained at the Graduation Examination. Where marks of Graduation are same, date of birth will be taken into consideration. Elder candidate will be given higher merit.

7. Admission card will be made available on website.

8. Rescanning of the answer sheets for Pre Teacher Education Test can be done on submission of application on plain paper mentioning his/her name, father's name, address and roll number along with self-addressed envelope affixing stamp of Rs. 5/- mentioning roll number on the top of envelop and with a bank draft of Rs. 150/- in favour of Coordinator, PTET-2016 as fee within 10 days of the date of declaration of result on website. No application shall be entertained if received after due date irrespective of any reason or without mentioning name, Father's name, Address and Roll number.

9. The answer sheets of the test shall not be subject to production before any court (Civil of Criminal) or before the candidate or anybody else on his/her behalf or before an internal or external authority.

10. The Jurisdiction of all court cases will be at Kota only. The responsibility of giving admission to students for B.Ed. in all the Teacher Training College of Rajasthan for the session 2016-17 is of the University of Kota, Kota only. As such court cases for admissions against the Principals of T.T. Colleges will not be acceptable to this University. Such admission, if any, given by the Principal will not be accepted.

Declaration of Result:

1. The result of all the candidate will be made available on website of PTET www.ptetraj2016.com, www.ptetraj2016.org or on the site as informed through newspapers. The information about their selection status for admission in B.Ed. course will also be made available with their result on website. Marksheet can be downloaded from the website of PTET. No information about the result/selection for admission in B.Ed. course will be sent by posts. However, as far as possible, information will be given through SMS on the mobile number given by the candidate in their online admission form. Notification regarding declaration of result on website will be published in newspapers for information of candidates.

2. The Material related to the examination will be kept preserved for six months after the examination. Thereafter, the material will be disposed off.

Note:

Detailed provisions/procedures regarding Pre-B.A.-B.Ed./B.Sc.-B.Ed. course are being uploaded separately.

To facilitate the candidates précised Hindi version of these Rules are being given in the following pages. In case of difference of meaning or interpretation of rules or any part thereof, if any, legal complication arises, only English version will be considered as authentic and final. All legal matters will be in Kota jurisdiction only.

नोट :– अभ्यर्थियों की सुविधार्थ नियमों का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। नियम या इसके किसी भाग के अर्थ (Interpretation) सम्बन्धी किसी विवाद या कानूनी अडचन के मामले मे ंअंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

सामान्य निर्देश

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट एवं प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.टेस्ट–2016

सत्र 2016–17 के बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतुः राजस्थान के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम में तथा चार वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नियमों के अनुसार कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा प्रतियोगी परीक्षा प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट एवं प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.टेस्ट आयोजित किया जा रहा है।

बी.एड. पाठ्यक्रम एवं बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम के प्रवेश नियम

1. राजस्थान के बी.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट (पी.टी.ई.टी.) आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में जो इस विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई है–न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा अग्र–उल्लिखित प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी पी.टी.ई.टी. के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम में आवेदन करने के योग्य है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी जिन्होनें स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र है। उपर्युक्त प्रकार से अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु आवश्यक पात्रता प्राप्त अंक प्रतिशत में 1 अंक की कमी भी स्वीकार्य नही होगी।

2. राजस्थान के जिन महाविद्यालयों में चार वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम संचालित है उनमें प्रवेश हेतु प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी..एड.टेस्ट आयोजित होगा। इस प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में अथवा किसी भी अन्य बोर्ड परीक्षा में जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा के समतुल्य मानी गई है–न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले तथा अग्र–उल्लिखित प्रवेश–अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.टेस्ट के माध्यम से चार वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम में आवेदन करने के योग्य है। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी तथा विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी जिन्होनें सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है, वे इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के पात्र है। उपर्युक्त प्रकार से अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु आवश्यक पात्रता प्राप्त अंक प्रतिशत में 1 अंक की कमी भी स्वीकार्य नही होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम में प्रवेश हेतु विज्ञान संकाय से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही जोकि उपरोक्त उल्लेखित अहर्ताएं, रखते है,पात्र होंगे ।

3. पात्रता परीक्षा अर्थात् बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./शास्त्री तथा एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम/आचार्य में बैठने वाले विद्यार्थी पी.टी.ई.टी.–2016 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है तथा परीक्षा में बैठ सकते है बशर्ते वे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के तभी हकदार होंगे जब उनके काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए काउन्संलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंकतालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो एवं उन्होने काउन्संलिग में भी भाग लिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इन्टरनेट से जारी परिणाम/अंकतालिका आदि स्वीकार नही किये जायेंगे। जिन अभ्यर्थियो ने किसी भी विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक परीक्षा उतीर्ण की है और केवल एकल बैठक परीक्षा पद्धति से ही विश्वविद्यालय की परीक्षा दी है या 10+2+3 या पुरानी पद्धति से 10+1+3 से परीक्षाएँ पास नही की हो, वे भी पी.टी.ई.टी. में बैठने के पात्र नही है। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता संबंधी गलत सूचना के आधार पर टेस्ट में बैठना, काउन्संलिंग में भाग लेना या पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना उसके द्वारा जमा शुल्क को जब्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

4. पात्रता परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा 2016 में बैठने वाले विद्यार्थी प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी..एड.टेस्ट –2016 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है तथा परीक्षा में बैठ सकते है बशर्ते वे चार वर्षीय बी.ए.बी.एड. /बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम में प्रवेश के तभी हकदार होंगे जब उनके काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए काउन्संलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक चार वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम पात्रता प्राप्तांक सहित आ चुका हो तथा अंकतालिका पात्रता प्राप्तांक

सहित उनके पास हो एवं उन्होने काउन्संलिग में भी भाग लिया हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय अन्य किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण–पत्र अथवा समाचार पत्र में घोषित परिणाम या इन्टरनेट से जारी परिणाम/अंकतालिका आदि स्वीकार नही किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता संबंधी गलत सूचना के आधार पर टेस्ट में बैठना, काउन्संलिंग में भाग लेना या पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना उसके द्वारा जमा शुल्क को जब्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

5. सम्बन्धित प्री टेस्ट में प्राप्त अंको के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई जायेंगी।

6. संकायनुसार उपलब्ध कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवरऑल मैरिट) के आधार पर 5 (पाँच) प्रतिशत से अनाधिक सीटे अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेंगी चाहे अभ्यर्थि किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्ते राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थि की मैरिट सामान्य श्रेणी में राजस्थान के अंतिम प्रविष्ठ अभ्यर्थि की मैरिट से कम नही हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी (Bonafied resident) है।

7. प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान और वाणिज्य) में उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या में से **केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों हेतु** आरक्षण इस प्रकार किया जायेगा–

(i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए .... 16 प्रतिशत

(ii) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए.. 12 प्रतिशत

(iii) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए .... 21 प्रतिशत

(iv) विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए .... 01 प्रतिशत

(v) महिला अभ्यर्थी (इनमे से 08 प्रतिशत स्थान विधवा और 02 प्रतिशत स्थान

तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिए है) 20 प्रतिशत

(vi) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए (दृष्टिहीन, बहरे और/या गूंगे अभ्यर्थियों एवं अस्थि विकलांग सहित) कम से कम 40 प्रतिशत असमर्थता होने पर चिकित्सा प्रमाण–पत्र फार्म नं. 4 पर निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा :

01 प्रतिशत दृष्टिहीन + 01 प्रतिशत बहरे और/या गूंगे + 1 प्रतिशत अस्थि विकलांग..................... 03 प्रतिशत

- जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल बोर्ड अथवा असमर्थता अंग संबंधी आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित या
- जहाँ मेडिकल कॉलेज नही है वहाँ असमर्थता अंग संबंधी आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ के सी.एम.एच.ओ. द्वारा हस्ताक्षरित

(vii) राजस्थान के सेवारत/सेवामुक्त/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी अथव उसके वार्ड (आश्रित) के लिए.............05 प्रतिशत

नियम 5 और 6 का खुलासा

(i) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग व विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब–डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) वार्ड (आश्रित) से अभिप्राय–पुत्र, पुत्री, पत्नि/पति है। सगे भाई–बहिन भी रक्षाकर्मी के वार्ड माने जा सकते है। बशर्त वे उसके आश्रित हों और उनके माता–पिता जीवित ना हो।

(iii) तलाकशुदा महिला को तलाकशुदा होने का न्यायालय का निर्णय प्रमाण–पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ–पत्र कि उसने पुनः शादी नही की है, भी देना होगा अन्यथा वह इस श्रेणी का लाभ नही ले सकेगी। सामाजिक संगठन द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र मान्य नही होंगे।

(iv) रक्षाकर्मी/या उसके आश्रित के लिए–यूनिट मेजर/सचिव, सैनिक बोर्ड द्वारा नियमानुसार जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण–पत्र के अभाव में इस श्रेणी के अंतर्गत लाभ देय नही होगा। बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य टेरीटोरियल फोर्स के कार्मिक इस श्रेणी में सम्मिलित नही है।

(v) राजस्थान का बोनाफाइड निवासी होने के दावे के निर्णय हेतु किसी सक्षम अधिकारी – जिला मजिस्ट्रेट अथवा इस निमित्त अधिकृत एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाईड निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यद्यपि बोनाफाईड निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही करने वाले ऐसे अभ्यर्थी भी राजस्थान के मूल निवासी माने जायेंगे जिन्होने राजस्थान राज्य से 10वीं से स्नातक स्तर तक की सभी परीक्षा पास की है एवं जो अपना मूल निवास का पता राजस्थान का दे रहे है।

राज्य के बाहर की महिला के राजस्थान में विवाह होने पर उसके पति का निवास स्थान यदि राजस्थान में है तो विवाहित का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान माना जा सकता है बशर्ते पति के राजस्थान में बोनाफाइड निवास का प्रमाण–पत्र पेश किया जाए तथा साथ ही विवाह प्रमाण–पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो परीक्षा में बैठने के लिये भरे गये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाये।

रक्षाकर्मियों और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो राजस्थान के बाहर पदस्थापित है/थे परन्तु जो मूलतः राजस्थान के निवासी है उन्हे भी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है बशर्ते उन्होने पी.टी.ई.टी. में बैठने के लिए भरे गये आवेदन पत्र के साथ अपने नियोक्ता का प्रमाण–पत्र और सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त बोनाफाइड निवास का प्रमाण–पत्र संलग्न किये हो।

(vi) जहाँ तक संभव हो सकेगा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जिस जिले में परीक्षा केन्द्र चाहा है, उसे उस जिले से संबंधित परीक्षा केन्द्र का आंवटन किया जावेगा। तथापि परीक्षा केन्द्र आंवटन के संबंध में समन्वयक, पी.टी.ई.टी. एवं प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी..एड.टेस्ट–2016 का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नही की जावेगी।

किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी स्वतः ही परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देगा और गलत तथ्यों की वजह से परीक्षा में प्रविष्ट होकर यदि प्रवेश भी ले चुका हो तो भी इस कार्यालय को ऐसा प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. परिणाम वेबसाईट www.ptetraj2016.com, www.ptetraj2016.org या अन्य वेबसाईट जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी, पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों की सूचनार्थ परिणाम घोषणा की सूचना राजस्थान के मुख्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों एवं उक्त उल्लेखित वेबसाईट पर नजर रखें। सूचना यथासंभव अभ्यर्थियों द्वारा ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर दिये गये मोबाईल नम्बर पर दी जायेगी।

महाविद्यालयों का आंवटन ऑन–लाईन काउन्संलिंग द्वारा किया जावेगा। ऑन–लाईन काउन्सलिंग की समय–सारणी समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जावेगी साथ ही वेबसाईट www.ptetraj2016.com, www.ptetraj2016.org पर भी उपलब्ध होगी एवं ऑनलाईन काउन्सलिंग से संबधित दिशा–निर्देश भी वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे जिनका अभ्यर्थियों को पालन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो महाविद्यालय आंवटन हेतु ऑन–लाईन काउन्सलिंग में भाग नही लेंगे तथा ऑन–लाईन काउन्सलिंग द्वारा उनको आंवटित कॉलेज को अस्वीकार करने पर वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में अपनी मैरिट का स्थान खो देंगे और पुनः उनके प्रवेश के मामले पर विचार नही किया जायेगा। एक बार महाविद्यालय का आंवटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन/स्थानान्तरण व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जमा प्रवेश शुल्क राशि उसके आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर महाविद्यालय के माध्यम से ऑनलाईन रिपोर्टिंग के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में नही लौटाया जायेगा।

9. किसी भी अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी की मैरिट, संकाय, श्रेणी एवं उसके बनने वाले शिक्षण विषयों को ध्यान में रखते हुए ऑन–लाईन काउन्संलिंग द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई अभ्यर्थी उसी जिले में प्रवेश पाने का दावेदार नही हो जाता।

10. **बी.एड. पाठ्यक्रम में** प्रवेश **के लिए अभ्यर्थी के** स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में विद्यालय शिक्षण विषय होना अनिवार्य है।

(i) शिक्षण विषय से अभिप्राय है ऐसा विषय जो अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु लिया हो। यह विषय ऐच्छिक या सहायक विषय भी हो सकता है, बशर्त अभ्यर्थी ने इस विषय का कम से कम दो वर्षो तक अध्ययन किया हो और विश्वविद्यालय ने प्रतिवर्ष इस विषय की परीक्षा ली हो। शिक्षण विषय में ऐसे विषय सम्मिलित नही होते जिनका अभ्यर्थी ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आंशिक अध्ययन किया हो। अतः अर्हताकारी विषय–सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य शिक्षा–भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास/प्रारंभिक गणित आदि जैसे विषय जो केवल प्रथम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में निर्धारित किये गये है या फिर वह विषय जो प्रथम वर्ष में पढ कर द्वितीयादि वर्षो में छोड दिया गया हो–शिक्षण विषय के रूप में नही माना जायेगा। ऑनर्स स्नातकों के लिए ऑनर्स के विषय के अलावा सहायक विषय को भी माना जायेगा। बशर्त अभ्यर्थी ने उस विषय को न्यूनतम दो शिक्षा–सत्रों तक पढा हो और प्रत्येक सत्र के अन्त में उसकी परीक्षा दी हो। त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम उतीर्ण की अंकतालिका में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के प्राप्तांक एवं द्विवर्षीय स्नातक उपाधि की स्थिति में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्राप्तांक अलग–अलग दर्शित किये जाकर इनका संकलन (Compilation) होना आवश्यक है।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने अपनी बी.ए. डिग्री इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र– इन विषयों में से किन्ही दो विषयों को लेकर प्राप्त की है उन्हे बी.एड. परीक्षा हेतु सामाजिक ज्ञान (Social Studies) विषय लेने की अनुमति होगी।

(iii) कृषि स्नातको को बी.एड. परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान और जीव–विज्ञान (Biology) विषय लेने की अनुमति होगी। सामान्य विज्ञान विषय लेने की अनुमति उन अभ्यर्थियों के लिए भी रहेगी जिन्होनें अपनी बी.एससी. डिग्री होम साइन्स विषय को लेकर अथवा बी.एससी. परीक्षा (i) रसायन शास्त्र (Chemistry) और (ii) जीवन विज्ञान (Life Science) का कोई विषय अर्थात जीव–विज्ञान (Biology) अथवा वनस्पति विज्ञान (Botany) अथवा जन्तु विज्ञान (Zoology) विषय लेकर उतीर्ण की है।

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए. अथवा एम.ए. परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय लेकर उतीर्ण की है वह बी.एड. परीक्षा हेतु शिक्षण विषय के रूप में नागरिक शास्त्र (Civics) विषय लेने का पात्र होगा।

पात्रता नियमों की व्याख्यात्क टिप्पणियाँ :

(i) पी.टी.ई.टी. के संकायवार मेरिट के लिए अभ्यर्थी का वही संकाय माना जायेगा जिसमें उसने स्नातक परीक्षा उतीर्ण की है अर्थात जो अर्हताकारी परीक्षा है तथा जो शिक्षण के अभ्यास के लिए विषय चुनने के योग्य बनाती है। स्नातक परीक्षा की संकाय से भिन्न स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय होने पर न तो मैरिट निर्धारण के लिए इस पर विचार किया जायेगा और न ही शाला–शिक्षण विषयों को लेने हेतु इस पर विचार हो सकेगा।

(ii) जहाँ किसी अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा के संकाय से भिन्न एक ही संकाय के दो विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उतीर्ण की हो और स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनो विषय शाला–शिक्षण विषय हो और अभ्यर्थी दोनों विषय अध्ययन विषय के रूप में चुनना चाहे तो उसके मैरिट निर्धारण के लिए उसे स्नातकोत्तर परीक्षा का संकाय दिया जा सकता है।

(iii) वाणिज्य स्नातक **'अर्थशास्त्र'** विषय नही ले सकता है।

(iv) अभ्यर्थी जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में पढे हुए विषयों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाया जाने वाला कोई दो शिक्षण विषय (Practice Teaching Subject) नियमानुसार नही बनते है वे टेस्ट मे बैठने हेतु पात्र नही है। बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ई./बी.एस.सी. बॉयोटेक्नॉलोजी या अन्य कोई ऐसी स्नातक डिग्री उतीर्ण अभ्यर्थी जिनके बी.एड. पाठ्यक्रम में पढाया जाने वाला विषय नही बनने के कारण वे भी टेस्ट में बैठने हेतु पात्र नही है।

(v) अभ्यर्थी जो पी.टी.ई.टी.–2016 के लिए आवेदन–प्रपत्र ऑनलाईन भरने /जमा करने की अंतिम तिथि तक पात्रता शर्त में से किसी को पूरा नही करता है तो उसे न तो पी.टी.ई.टी. के लिए आवेदन पत्र पेश करना

चाहिए और न ही परीक्षा मे बैठना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी और उसे प्रवेश नही दिया जायेगा भले ही परीक्षा में बैठने या भाग लेने से उसका नाम योग्यता सूची में आ गया हो और भले ही परीक्षा हेतु उसकी पात्रता की जाँच न करने के कारण भूल से उसे प्रवेश की अनुमति भी मिल गई हों– किसी भी स्तर पर उसकी अयोग्यता का पता लगने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रथम चरण की काउन्सलिंग के समय तय तिथि तक की निर्धारित पात्रता–परीक्षा की मूल अंकतालिका प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(vi) (अ) राजस्थान में एज्यूकेशन कॉलेजो में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसे विश्वविद्यालय से (इंटरमिडिएट के बाद) त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उतीर्ण किया है जहाँ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नही ली जाती है तो इस परीक्षा के प्राप्तांक भी द्वितीय वर्ष की प्राप्तांक सूची में श्रेणी निर्धारण हेतु नही जोडे जाते, तो वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी. में बैठने के योग्य नही है।

(ब) ऑनर्स स्नातकों में से जिन्होने न्यूनतम दो वर्षो तक एक ही सहायक विषय का अध्ययन कर दोनो ही वर्षो में अलग–अलग विश्वविद्यालय परीक्षा उतीर्ण नही की है, वे भी इस सहायक विषय को अपने शिक्षण विषय के रूप मे लेने के पात्र नही है और इसलिए पी.टी.ई.टी. मे बैठने के पात्र भी नही है।

(स) जिन अभ्यर्थियो ने किसी भी विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से स्नातक परीक्षा उतीर्ण की है और केवल एकल बैठक परीक्षा पद्धति से ही विश्वविद्यालय की परीक्षा दी है या 10+2+3 या पुरानी पद्धति से 10+1+3 से परीक्षाएँ पास नही की हो वे भी पी.टी.ई.टी. में बैठने के पात्र नही है।

अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य निर्देश :

(i) प्रथमतः अभ्यर्थी को पी.टी.ई.टी. मे बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन–पत्रों की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा की जाना आवश्यक नही है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की है जो उसे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार, उस दशा में नही देता यदि बाद में यह पता लगे कि वह इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु या पी.टी.ई.टी. में प्रवेश हेतु पात्रता भी नही रखता। पुनःश्च क्योंकि पी.टी.ई.टी. परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी की अपनी जोखिम है, उसे यदि अंकसूची भी दे दी जाती है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नही मिल जाता, यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है।

(ii) अभ्यर्थी को नियमावली व सामान्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उनकी पालना करनी चाहिए अन्यथा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पात्रता नही रखने वाले छात्र परीक्षा में सम्मिलित नही होवे।

(iii) किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाईन आवेदन–पत्र में किसी श्रेणी विशेष का उल्लेख करना परन्तु वास्तविकता में उस श्रेणी से सम्बन्ध नही रखना या आवेदन पत्र में श्रेणी आदि का उचित अंकन किए बगैर प्रमाण–पत्रादि की प्रतिलिपि संलग्न कर देना या ऑन–लाईन आवेदन–पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जावेगा और परिणाम स्वरूप ऐसा आवेदन–पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(iv) पी.टी.ई.टी. का शुल्क उपरोक्त दर्शाई गई किसी भी दशा में प्रत्यर्पणीय (Refundable) नही है। अतः नियमों और निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते है केवल उन्हे ही आवेदन करना चाहिए।

पी.टी.ई.टी. के प्रवे�ा हेतु मार्गद�र्िनः–

1. प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार, किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नही किया जा सकता है। यह सर्वोतम को चुनने की एक प्रक्रिया है तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है।
2. पी.टी.ई.टी. परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे–
   - मेन्टल एबिलिटी (Mental ABility)
   - टीचिंग एटीटयूड एण्ड एप्टीटयूड टेस्ट (Teaching Attitude and Aptitude Test)
   - जनरल अवेयरनेस (General Awareness) और
   - लैग्वेज प्रोफिशियेन्सी (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) {Language Proficiency (HIndi Or English)}

(i) प्रश्न–पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय न्यूनतम 4 उत्तरो सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्न–पत्र में नमूना देखे)

(ii) प्रश्न–पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनो भाषाओं में होगा सिवाय लैंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग, किन्तु दोनो भाषाओं मे प्रश्न–पत्र या उत्तर विकल्पों में अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अंतिम माना जायेगा।

(iii) प्रश्न–पत्र की अवधि 03 घंटे की होगी।

(iv) प्रत्येक प्रश्न 03 अंक का होगा, पूरा प्रश्न –पत्र 600 अंको का होगा।

(v) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीट्यूट एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक के स्केल पर होगा अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3,2,1 अथवा 0 अंक होगा।

3. सभी विभागों का प्रश्न–पत्र 'टेस्ट बुकलेट' के रूप मे होगा जिसमें क्रमशः 1,2,3,........50 तक क्रमांक मे 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला करना है जैसा नमूने मे दर्शाया गया है। यदि आप उत्तर बदलना चाहते है तो पहले वाले गोले को जिसे आप काला कर चुके है पूर्णतया मिटा दीजिए और नया गोला काला कीजिए। दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर–उधर कही कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला करने अथवा उत्तर बदलने हेतु पहला काला किये हुए गोले को पूरा मिटाए बगैर अन्य गोले को भी काला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नही करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

4. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combination) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंको के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें।

5. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीटीईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जायेगी।

6. **दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मैरिट के आधार उनकी स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि स्नातक परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्म तिथि के आधार पर माना जायेगा एवं उम्र मे वरिश्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरीयता में माना जायेगा।**

7. पीटीईटी के उत्तर–पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रूपये 150/– (रूपये एक सौ पचास) शुल्क के रूप में बैक ड्राफ्ट, जो समन्वयक, पीटीईटी–2016 के नाम एवं कोटा में देय हो, संलग्न कर सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, रोल नम्बर एवं पता लिखते हुए आवेदन कर सकते है। परिणाम हेतु पता लिखा हुआ 5/– रूपये के डाक टिकट लगा लिफाफा जिसके ऊपरी भाग में आवश्यक रूप से रोल नम्बर लिखे हो, भिजवाएं। किसी भी कारणवश अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले या अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, रोल नम्बर एवं पता लिखे बिना भेजे जाने वाले प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा।

8. परीक्षा के उत्तर–पत्रक किसी भी सूरत में किसी न्यायालय (सिविल अथवा क्रिमिनल) के समक्ष प्रस्तुत नही किये जायेंगे न ये अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

9. न्यायालय मे दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ कोटा होगा। राजस्थान के बी.एड. महाविद्यालय मे सत्र 2016–17 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यो के विरूद्ध न्यायालयों मे दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नही होंगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नही होगा।

परिणाम की घोशणा :

(i) सभी अभ्यर्थियों का परिणाम वेबसाईट www.ptetraj2016.com, www.ptetraj2016.org या अन्य वेबसाइट जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी, पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के बी.एड. पाठ्यक्रम एवं प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम में प्रवेश हेतु चयन की सूचना भी परिणाम के साथ वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट से अंकसूची डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट लिया जा सकेगा। परिणाम–बी.एड. तथा प्री बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यकम में चयन की कोई सूचना अभ्यर्थियों को डाक द्वारा नही दी जायेगी। सूचना यथासंभव अभ्यर्थियो द्वारा ऑन–लाईन प्रवेश आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर दिये गये मोबाइल नम्बर पर दी जायेगी। उनकी सूचनार्थ केवल परिणाम घोषणा की सूचना से संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(ii) परीक्षा सामग्री से संबंधित रिकार्ड संधारण छः माह तक किया जायेगा तत्पश्चात् संपूर्ण रिकार्ड का निस्तारण कर दिया जायेगा।

नोट : पाठ्यक्रम की भुल्क राशि राज्य सरकार के निर्णयानुसार होगी।

जिला एंव विशय संकेतांक

संकेताक सहित जिले का नाम

जिला	संकेताक
अजमेर	101
अलवर	102
बांसवाडा	103
बाडमेंर	104
भरतपुर	105
भीलवाडा	106
बीकानेर	107
बूंदी	108
चित्तौडगढ	109
चुरू	110
डुंगरपुर	111
जयपुर	112
जैसलमेर	113
जालोर	114
झुंझनू	115
झालावाड	116
जोधपुर	117
कोटा	118
नागौर	119
पाली	120
सवाईमाधोपुर	121
सीकर	122
सिरोही	123
श्रीगंगानगर	124
टोंक	125
उदयपुर	126
धौलपुर	127
दौसा	128
बारां	129
राजसमन्द	130
हनुमानगढ	131
करौली	132
प्रतापगढ	133

संकेताक सहित विशयों के नाम

कला संकाय
से सम्बन्धित विषय

विषय	संकेतांक
कला (ड्राइंग)	01
नागरिक शास्त्र	02
गृह विज्ञान	03
अर्थशास्त्र	04
अंग्रेजी	05
भूगोल	06
हिन्दी	07
इतिहास	08
गणित	09
संगीत	10
राजस्थानी	11
संस्कृत	12
सामाजिक ज्ञान	13
उर्दू	14

विज्ञान संकाय
से सम्बन्धित विषय

विषय	संकेतांक
जीव विज्ञान (Biology)	15
रसायन विज्ञान (Chemistry)	16
सामान्य विज्ञान (Gen. Sc.)	17
गृह विज्ञान	03
गणित	09
भौतिक विज्ञान (Physics)	18

वाणिज्य संकाय
से सम्बन्धित विषय

विषय	संकेतांक
बहीखाता	20
व्यापार पद्धति	21

स्नातक स्तर के विशय

बी.एड. पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान / सा. विज्ञान (अभ्यास शिक्षण) विषय का निर्धारण करने हेतु

विषय	संकेतांक
राजनीति विज्ञान	41
लोक प्रशासन	42
समाज शास्त्र	43
दर्शन शास्त्र	44
मनोविज्ञान	45
वनस्पति विज्ञान	46
जन्तु विज्ञान	47

Model Question Paper

भाग 'अ'

मानसिक योग्यता

1 श्याम बिन्दु 'क' से 5 किमी. पूरब की ओर चलकर बिन्दु 'ख' पर पहुंचा। वहां से दायें मुड़कर वह 3 किमी. चला और बिन्दु 'ग' तक पहुंचा। फिर वह बायें को मुड़ा और 2 किमी. चलकर बिन्दु 'घ' तक पहुंचा। इस तरह

अ बिन्दु 'घ' बिन्दु 'ग' से 2 किमी. पूर्व में है।
ब बिन्दु 'घ' बिन्दु 'ख' से 2 किमी. पूर्व में है।
स बिन्दु 'घ' बिन्दु 'क' से 2 किमी. पूर्व में है।
द बिन्दु 'घ' बिन्दु 'ग' से 2 किमी. पष्चिम में है।

2 यदि किसी संकेत भाषा में SOHAN को RPGBM लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में RATAN को कैसे लिख जायेगा

अ SBSBM ब QBSAM
स QZSZM द QBSBM

3 निम्नलिखित संख्यामाला से अगली संख्या बताइये:
3,5,7,11,13,17,.................

अ 19 ब 25
स 21 द 23

4 जेकब ने 450 किमी. की यात्रा रेल से 9 घंटे में तय की। रहमान ने 280 किमी. की यात्रा बस से 7 घंटे में की। राम ने ट्रक से 240 किमी. की दूरी 4 घंटे में सम्पन्न की, जबकि माला ने कार द्वारा 140 किमी. दूरी यात्रा 2 घंटे में समाप्त की। इनमें से किसने सर्वाधिक तीव्र गति से यात्रा की

अ जेकब ब रहमान
स राम द माला

5 नीचे दी हुई अक्षर माला में कुछ रिक्त स्थान हैं
p-qqr-ppq-rrp-qprr
रिक्ताक्षरों का उसी क्रम में पता लगावें:

अ qprp ब prqp
स pqqr द qpqp

6 जो संबंध गाय का बछड़े से है, वही संबंध मुर्गी का .... से है :

अ माँ ब अण्डे
स घास द चूजे

प्रष्न 7 से 8 निम्नांकित रेखाचित्र पर आधारित है:
जब

□ महिलाओं का द्योतक है।
△ षिक्षित का द्योतक है।
○ रोजगार का द्योतक है।

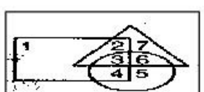

7 कौनसी संख्या ऐसी महिलाओं की द्योतक है, जो षिक्षित हैं, परन्तु बेरोजगार है:

अ 1 ब 2
स 3 द 4

8 कौनसी संख्या बेरोजगार महिलाओं की द्योतक है:

अ 1 ब 1 और 2
स 2 और 7 द 2 और 3

भाग 'ब'

अभिवृति एवं अभिरूचि परीक्षा

1 यदि कोई दूसरों के व्यवहार पर प्रभाव डालना चाहता हो तो वह दूसरों के व्यवहार को देखेगा और उनकी बात सुनेगा।

अ कभी नहीं ब कभी–कभी
स कहना कठिन है द हाँ

2 दूसरों पर प्रभाव डालना हो तो व्यक्ति को पहले विचार निष्चयपूर्वक प्रस्तुत करने चाहिए।

अ हाँ ब कभी–कभी
स कहना कठिन है द नहीं

3 यदि दूसरों को प्रोत्साहित करना हो तो पहले देखना आवष्यक है कि दूसरा कार्य के लिए तैयार है या नहीं।

अ सदैव ब प्रायः
स नहीं द संभवतः

भाग 'स'

सामान्य ज्ञान

1 दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम पाया गया है:

अ लोथल में ब धोलावीरा में
स रंगपुर में द हड़प्पा में

2 जिस आकाषगंगा (गैलेक्सी) में पृथ्वी स्थित है, उसका नाम है:

अ देवयानी ब उर्सा मेजर
स उर्सा माइनर द मन्दाकिनी

3 सन् 1991 का नोबेल शान्ति पुरस्कार मिला था:

अ दलाई लामा को ब सू ची आंग सान को
स गोर्बाचेव को द रिगोबर्टा को

4 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है:

अ 28 फरवरी को ब 8 मार्च को
स 8 अप्रैल को द 10 मार्च को

5 राजस्थान से मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली श्रीमती अरूणा राय .... हैं।

अ प्रथम व्यक्ति ब द्वितीय व्यक्ति
स तृतीय व्यक्ति द चतुर्थ व्यक्ति

6 चम्बल नदी का उदगम स्थान किस राज्य में है ?

अ गुजरात ब मध्यप्रदेष
स राजस्थान द महाराष्ट्र

भाग 'द'

भाषा–कौशल (हिन्दी)

1 'भारी सन्दूक' में भारी का विलोम है:

अ छोटा ब खाली
स हल्का द पतला

2 असंगत का पता लगाइये:

अ पवित्र ब निर्मल
स शुद्ध द मोहक

3 शुद्ध वर्तनी किसमें है ?

अ अन्तरदेषीय ब अन्तर्देषीय
स अनतर्देषीय द अन्तर्देषिय

4 राम ने खाना खाया। वह कॉलेज चला गया।
ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। बताओं नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य ठीक है :

अ खाना खाते हुए राम कॉलेज चला गया।
ब राम कॉलेज चला गया खाना खाकर।
स कॉलेज चला गया राम खाना खाकर।
द खाना खाकर राम कॉलेज चला गया।

5 उसकी इच्छा के विपरीत, कमला के पिता ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए ....

अ मजबूर किया ब सलाह दी
स प्रोत्साहन दिया द विनती की

6 'आग बबूला हो जाना' का अर्थ है:

अ आग में कूद पड़ना ब क्रोध में पागल हो जाना
स आग का तेज करना द आग को रोकना

नीचे दिये गद्यांष को पढ़ो और उसके आधार पर प्रष्न 7 और 8 के उत्तर दो।

बहुत समय के बाद मनुष्य ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया, जिसने दुनिया में यातायात के तौर–तरीके ही बदल दिये। वह पहिया

था हाँ, वह पहिया जिसे तुम बैलगाड़ी, बाइसिकिल, बस और ट्रेन में लगा देखते हो। आज तक एक ऐसी मामूली चीज मालूम होती है कि लोग इसे एक बहुत बड़ा आविष्कार नहीं मानते किन्तु मनुष्य को इस छोटी–सी चीज को बनाने और उसकी उपयोगिता को समझने में काफी समय लगा। पहले मनुष्य और जानवरों को भारी बोझ ढोना पड़ता था। तुम अच्छी तरह कल्पना कर सकते हो कि यह कितना कठिन था। तब किसी ने देखा होगा कि एक गोल वस्तु चौरस वस्तु की अपेक्षा तेजी से आगे जाती है। पहली गाड़ी अवष्य ही एक लकड़ी के लट्ठे के समान दिखाई देती होगा, जिसमें लकड़ी के गोल टुकड़े लगे होंगे। आज यदि हमारे जीवन से पहिये को हटा दिया जाये, तो हमारी पूरी सभ्यता ही रूक जायेगी।

7 आज पहिया एक महत्वपूर्ण आविष्कार नहीं लगता, क्योंकि :
- अ पहिये का प्रयोग हाल में ही प्रारम्भ हुआ।
- ब इसका आविष्कार बहुत समय पूर्व हुआ।
- स अब इसका प्रयोग आम बात है।
- द सभी गाड़ियों में पहिये होते हैं।

8 यदि पहिये को हमारे जीवन से हटा दिया जाये तो :
- अ मनुष्य बिल्कुल गतिहीन हो जायेगा।
- ब हमारे पास कोई काम नहीं रह जाएगा।
- स वर्तमान सभ्यता समाप्त हो जाएगी।
- द जीवन बहुत जोखिम भरा हो जायेगा।

SECTION "D"
LANGUAGE PROFICIENCY (ENGLISH)

1 The opposite of 'heavy' in a heavy box is
- A Small B Empty
- C Light D Thin
- E Weightless

2 Find the odd man out
- A Pious B Holy
- C Sacred D Charming

3 Choose the word spelt correctly
- A Synonymus B Synonymous
- C synomymous D Synomymus

4 Ram finished his meal. He left for the college.
The above pair of sentences if written as a single sentence, which of the following is correct?
- A While finishing his meal, Ram left for the college.
- B Ram left for the college, when the meal finished.
- C When finishing his meal, Ram left for the college.
- D Having finished his meal, Ram left for the college.

5 Choose the most appropriate word to fill in the blank in the following sentence:
Much against her wishes, Kamla's father....... her to leave her job.
- A Compelled B Advised
- C Prompted D Requested

6 He passed in the examination with flying colours. The sentence means.
- A He used very good colours in the examination paper.
- B He passed the test in colour drawings.
- C He passed the examination with great distinction.
- D He went for examination wearing good colour clothes.

Read the passage below and answer question 7 and 8 based on the passage :

After a long time man invented something which changed the system of transport in the world. It was the wheel. Yes, the same wheel that you see in bullock cart, a bicycle, a bus and a train. Today, it appears such an ordinary thing that one does not treat it as a great invention. But man took a long time in making this small object and understanding its utility. Formerly heavy loads had to be carried by men or animals. One can well imagine how difficult it was. Then someone must have realised that a round object moves faster than flat one. The first cart must have looked like a log of wood fitted with round wooden pieces. Removing the wheel from our life would mean bringing the entire civilization to a halt.

7 The wheel does not look like a major invention, because :
- A the use of the wheel is a recent thing.
- B it was invented a long time ago.
- C its use has now become very common.
- D all vehicles have wheels.

8 If wheels are removed from our lives
- A man will not be able to work at all.
- B we will have no work.
- C present civilization will come to an end.
- D life will become very risky.